न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा

बइजलास– के0जी0जोजन, (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
151/2014	24.12.20141	27.03.2018

–:: उनवान ::–

1. रामभगत मोदी आयु 60 वर्ष आत्मज स्व0रामजीदास मोदी जाति महाजन, निवासी–मोडक स्टेशन, तहसील रामगंजमंडी,जिला कोटा(राज0)

वादी

–:: बनाम ::–

1. पंकज कुमार पुत्र स्व0स्वरुपचंद जाति बैरवा, निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमंडी,जिला–कोटा(राज0)

प्रतिवादी

–:: वाद पत्र अंतर्गत धारा–188 रा0टे0एक्ट ::–

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र प्रस्तुत कर वादी द्वारा तथ्य अंकित किये कि,

1. यह कि वादी के खते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा न0 437 कुल क्षैत्रफल 4.07 हैक्टयर मे से 208 हैक्टर भूमि वाके माल ग्राम सातलखेडी तहसील–रामगंजमंडी में स्थित है।
2. यह कि उक्त आराजी वादी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक–20/11/2014 से पूर्व खातेदार श्री जम्बूकुमार मित्तल से कय की कब्जा प्रात्त किया और जर्ये इंतकाल सं 265 दिनांक 8/12/2014से उक्त आराजी वादी के खाते राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज की जा चुकी है। नकल विकय पत्र एवं नकल जमाबंदी सन 2004 से 2024 साथ सलंग्न है।
3. यह कि प्रतिवादी के नाम से राज्य सरकार द्वारा ग्राम सातलखेडी में खनिज स्टोन उत्पादन हेतु लीज स्वीकृत की हुइ है। जा वर्तमान में प्रभावशील हैं तथा वादी के

Scanned by CamScanner

खाते एवं कब्जे की उक्त आराजी प्रतिवादी के उक्त लीज क्षैत्र में साथ लगी हुइ स्थित है।

4. यह कि प्रतिवादी को वादी के खाते एव कब्जे की उक्त आराजी का लीज में खनन एवं उससे संबधित सहयोगी गतिविधियो के लिये जब तक प्रतिवादी विधिवत उक्त आराजी के लिये कम्पेनसेशन निर्धारण करा कर वादी को भुगतान नहीं कर देता है। तब तक उक्त आराजी पर प्रतिवादी को किसी प्रकार की गतिविधियॉ संचालित करने तथा उक्त आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त नहीं है।
5. यह कि कानूनन किसी भी लीज क्षैत्र के पास स्थित अन्य खातेदार की आराजी का उपयोग लीज होल्डर सम्बन्धित खातेदार की सहमति प्राप्त करने के बाद ही उपयोग कर सकता है। प्रतिवादी द्वारा वादी से उक्त आराजी के सम्बन्ध में आज तक कोइ सहमति प्राप्त नही की गयी है। इस कारण प्रतिवादी को उक्त आराजी के उपयोग का अधिकार नही है।
6. यह कि वादी के खाते एवं कब्जे की उक्त आराजी प्रतिवादी के लीज क्षैत्र में साथ लगी होने से प्रतिवादी जबरन बिना मुआवजा भुगतान किये बिना वादी की सहमति प्राप्त किये अवैध रुप से ताकत के बल पर उपयोग करने को कटिबद्ध इस हेतु प्रतिवादी खनन क्षैत्र में दिनांक–21/12/2014 को यह शौहरत फैलाइ कि वह वादी के खाते एवं कब्जे की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर खनन गतिविधियॉ संचालित करेगा। इसकी जानकारी वादी को होने पर प्रतिवादी से बात की तो प्रतिवादी आमदा फसाद हुआ।
7. यह कि यदि प्रतिवादी अपने इरादे मे सफल हो जाता है तो वादी को उक्त आराजी के सम्बन्ध में प्राप्त अधिकारो से वंचित होना पडेगा तथा वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति वादी को किसी भी रुप में नहीं हो सकेगी तथा वादी को अन्य कइ मुकदमे बाजी में फंसना पड जावेगा।
8. यह कि वादी का यह प्रथम दृष्टया वाद है तथा सुविधाओ का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है तथा प्रतिवादी के उक्त कृत्य से वादी के खाते एवं कब्जे की उक्त आराजी के लिये वेस्ट डेमेज एंड एलाइनेशन का खतरा उत्पन्न हो गया है।
9. यह कि उक्त समस्त कारणो से वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है वह माननीय न्यायालय से अपने हित में विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की स्थायी

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा प्रस्तारित करावे कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा न0 437 कुल क्षेत्रफल में से 208 हैक्टयर भूमि सडक की तरफ वाके माल ग्राम सातलखेडी तहसील–रामगंजमंडी का वादी को शांतीपूर्वक उपयोग उपभोग करते रहने दे इसमे किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वंय उत्पन्न करे और न ही ऐसा कोइ कार्य अपने किसी परिजन अथवा एजेंट से करावे।

10. यह कि वाद कारण प्रथम बार प्रतिवादी द्वारा खनन क्षेत्र में दिनांक– 21/12/2014 को यह शोहरत फैलाने पर कि वह वादी के खाते एवं कब्जे की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर खनन गतिविधियों बात की तो प्रतिवादी आमदा फसाद होने पर उत्पन्न हुआ है।

11. यह कि विवादित आराजी ग्राम सातलखेडी तहसील–रामगंजमंडी के माल में स्थित होने से उक्त वाद के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

12. यह कि वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

वादी द्वारा अन्य कथन कर तथा: वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

(अ) यह कि माननीय न्यायालय द्वारा वादी के हित में विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रस्तारित फरमाइ जावे कि प्रतिवादी वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा न0 437 कुल क्षेत्रफल 4.07 हैक्टयर में से 2.08 हैक्टयर भूमि सड़क की तरफ वाके माल ग्राम सातलखेडी तहसील– रामगंजमंडी का वादी को शांतीपूर्वक उपयोग उपभोग करने रहने दे इसमें किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही ऐसा कोई कार्य अपने किसी परिजन अथवा एजेंट से करावे।

(ब) कि अन्य कोइ सहायता जो न्यायोचित हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

दावा वादी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सुचना अनुपस्थित रहा लिहाजा उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

37

Scanned by CamScanner

एक तरफा साक्ष्य वादी ली गई। दरम्याने साक्ष्य वादी की और से

स्वयं का शपथपत्र ,

नकल जमाबन्दी ग्राम सातलखेड़ी सं0 2004–24 खाता नम्बर 106 प्रदर्श–2

छायाप्रति रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा जम्बूकुमार बहक वादी आराजी ग्राम सातलखेड़ी रजि0 तादादी 2500000/ दिनॉक 21.11.2014 पु0न0 1 जिल्द नं0 314 प्र0सं0 191 कम संख्या 2014002243 उप पंजीयक रामगंजमण्डी प्रदर्श–3 ए

हस्व प्रदर्श–3 ए से प्रमाणित होता है कि वादी द्वारा ग्राम सातलखेड़ी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 437 रकबा 2.29 हैक्टर में से 2.08 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा जम्बू कुमार पुत्र ताराचन्द्र से कय की गई है। उक्त रजिस्टर्ड बयनामें के आधार पर वादी के नाम नामान्तरकरण संख्या 265 दिनॉक 08.12.2014 दायर किया गया तथा वर्तमान में उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज अभिलेख है।

पदर्श 3 ए के पेज नम्बर 3 की लाईन नम्बर 3 व 4 में वादगत भूमि पर वादी को कब्जा सुपुर्द करने का बखूबी उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार यह तय है कि वादगत भूमि का वादी अभिलिखत खातेदार आसामी है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 43 में सुपरिभाषित है तथा धारा 14 में वर्णित श्रेणी का खातेदार है। प्रतिवादी का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं होना प्रकट होता है।

वादी को यदि विवादित भूमि से बेदखल किया जाता है या उनको उक्त भूमि के कब्जे में व्यवधान कर भूमि से वॅचित कर दिया जाता है तो इससे वादी को अपरिमित क्षति होना संभाव्य है।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से विवादित भूमि पर वादी के स्वत्व प्रमाणित हैं इसके विपरीत प्रतिवादी का विवादित भूमि पर कोई स्वत्व या सरोकार होना प्रकट नहीं है।

३४

Scanned by CamScanner

लिहाजा वादी विवादित भूमि पर प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का हकदार प्रकट होता है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी के खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा न0 437 कुल क्षैत्रफल 4.07 हैक्टयर में से 2.08 हैक्टयर भूमि वाके माल ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमंडी का वादी को शांतीपूर्वक उपयोग उपभोग करने रहने दे इसमे किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही ऐसा कोइ कार्य अपने किसी परिजन अथवा एजेंट से करावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(कै0जी0जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

निर्णय आज दिनॉक 27/03/2018 को मैरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया ।

(कै0जी0जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner